पत्रांक–7/सू0अ0–05–03/2011 का0– 5448 /13

**झारखण्ड सरकार,**

**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।**

झारखण्ड लोक सेवा आयोग
15 SEP 2011
राँची

प्रेषक,

फिदेलिस टोप्पो,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक 12/9/2011

विषय : नियुक्ति तथा शिक्षण संस्थानों में नामांकन में आरक्षण की सुविधा।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर विभागीय पत्र संख्या–3557, दिनांक 18.10.2005 का कृपया निदेश किया जाय जिसके द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–B.C.-16014/1/82-S.C. and B.C.D.-I, दिनांक 22.02.1985 की प्रति संलग्न करते हुए जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु आवश्यक अनुदेश जारी किया गया था। इस क्रम में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार से पत्र संख्या– 27/26/2006-SRS, दिनांक 29 जुलाई, 2008 प्राप्त हुआ है। पत्र में अंकित अनुदेश के अनुसार नियुक्ति तथा शिक्षण संस्थानों में नामांकन में राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को अनुमान्य आरक्षण की सुविधा तभी दी जा सकती है जब उम्मीदवार की जाति राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग में वर्गीकृत हो तथा उम्मीदवार राज्य का अधिवासी (Domicile) हो।

अनुरोध है कि नियुक्ति तथा शिक्षण संस्थानों में नामांकन में आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त तदनुसार कार्रवाई की जाय।

सुलभ प्रसंग हेतु भारत सरकार के उपर्युक्त पत्र की प्रति भी संलग्न है।

विश्वासभाजन,

10.9.11

**(फिदेलिस टोप्पो)**
**सरकार के संयुक्त सचिव।**

Letters-7

2290/C.E
16/9/11

1236/
13/9/11

Kind Attention Shri Shukla CSS

No.27/26/2006-SRS
Ministry of Personnel, P.G. & Pensions
( Department of Personnel & Training )
Government of India
*************

Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi-110003.
Dated : 28th July, 2008

2 9 JUL 2008

29 JUL 2008

To

Sh. N. S. Napalchayal,
Principal Secretary,
Reorganisation,
Government of Uttrakhand,
Dehradun.

Dr. R.C. Srivastava,
Principal Secretary,
Uttar Pradesh State Re-organisation Coordination Department,
Vikas Bhavan,
Janpath, Lucknow,
Uttar Pradesh.

Subject : Consideration of representations of the employees of reservation category where their caste is listed only in one of the successor State regarding.

Sir,

I am directed to say that the reference received from the National Commission for Schedule Tribes on the above mentioned issue has been examined in consultation with the Reservation Division of this Department. The Reservation Division has stated that the benefits of reservation in the matter of appointment to post or admission in educational institutions is available only to State candidates who belong to a caste / community which is categorised as SC / ST / OBC of the State and who are the 'domicile' of the State. It has recommended for allocating such candidates to the successor State where his caste is listed in the schedule, as per his option. A

2. Keeping the advice of the Reservation Division in view, it has been decided to treat the employees, whose caste has been categorized as SC / ST / OBC only in one of the successor States, as special category, and all future allocation of these employees is to be made only to that State where their caste is listed in the schedule of the State or as per their option.

Yours faithfully,

( V. Peddanna )
Deputy Secretary to the Government of India
Tele.Fax:011 2462 3711

Receipt & Issue Section

जारी किया/ISSUED
हस्ताक्षर/Sig. ..........

पत्र संख्या–7 / आ0नि0–018–10 / 2003 का॰–7072

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

मुखत्यार सिंह,
सरकार के आयुक्त एवं सचिव।

सेवा में,

परीक्षा नियंत्रक,
झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्,
झारखण्ड, रांची।

रांची, दिनांक 30 दिसम्बर, 2003

विषय : झारखण्ड के स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र धारक आवेदकों द्वारा दूसरे राज्य से लेकर जाति प्रमाण पत्र के मान्यता के संबंध में।

महोदया,

प्रासंगिक पत्र की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित करना है कि प्रासंगिक विषय पर विधि विभाग से मंतव्य प्राप्त किया गया।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं के रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के नियम–14 के आलोक में निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं :–

झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद् द्वारा आयोजित परीक्षाओं में आरक्षण का लाभ केवल वैसे अभ्यर्थियों को दिया जाय जो झारखण्ड राज्य के लिए भारतीय संविधान की अनुसूची (V) एवं (VI) में झारखण्ड राज्य के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित किये गये हैं और पिछड़े वर्गों की वैसे जातियों जिनका उल्लेख प्रासंगिक अधिनियम में है। आरक्षण का लाभ तभी दिया जाय जब अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र झारखण्ड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, जो कम–से–कम अनुमण्डल पदाधिकारी से अन्यून स्तर के पदाधिकारी होंगे। ऐसा प्रमाण पत्र झारखण्ड राज्य बनने के पूर्व अगर झारखण्ड क्षेत्र के सक्षम पदाधिकारी द्वारा जो उस समय झारखण्ड क्षेत्र में पदस्थापित थे, जाति का प्रमाण पत्र दिया गया हो तो उसकी भी भी मान्यता दी जाय।

विश्वासभाजन,
ह0 / –
(मुखत्यार सिंह)
सरकार के आयुक्त एवं सचिव।

ज्ञापांक–7 / आ0नि0–018–10 / 2003 का॰–7072 / रांची, दिनांक 30 दिसम्बर, 2003

प्रतिलिपि–सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / अध्यक्ष, झारखण्ड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ प्रेषत।

ह0 / –
सरकार के आयुक्त एवं सचिव।

ज्ञापांक–7 / आ0नि0–018–10 / 2003 का॰–7072 / रांची, दिनांक 30 दिसम्बर, 2003

प्रतिलिपि–सचिव, उद्योग से अनुरोध है कि राज्य के अधीन सभी लोक उपक्रमों को अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें।

ह0 / –
सरकार के आयुक्त एवं सचिव।